भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5151
02 अप्रैल, 2025 के लिए प्रश्न

उचित दर की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण

5151. श्री सौमित्र खान:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में उचित दर की कितनी दुकानें संचालित हैं;

(ख) गत वर्ष के दौरान इन दुकानों के माध्यम से वितरित सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न की मात्रा कितनी थी;

(ग) सब्सिडी वाले खाद्यान्नों को खुले बाजार में जाने से रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ.) उचित दर की दुकान के दोषी डीलरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): इस विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्तमान में पश्चिम बंगाल में 20,476 उचित दर दुकानें (एफपीएस) खाद्यान्न वितरण में शामिल हैं।

(ख): पिछले वर्ष अर्थात वर्ष 2024 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कुल 38.80 लाख टन खाद्यान्न वितरित किया गया है।

(ग) से (घ): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत संचालित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर खाद्यान्नों के आबंटन, पात्र लाभार्थियों और परिवारों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण, उचित दर दुकानों (एफपीएस) के कार्य की निगरानी और पर्यवेक्षण आदि का परिचालन से संबंधित दायित्व, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है।

सब्सिडी वाले खाद्यान्नों को खुले बाजार में भेजना, टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 के प्रावधानों के उल्लंघन में किया गया एक अपराध है, जिसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार, यह आदेश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को इन आदेशों के प्रासंगिक प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देता है। टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 के प्रासंगिक खंड के तहत पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के परिणामों को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में है।

*****

अनुबंध

"उचित दर दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण" विषय पर लोक सभा में दिनांक 02.04.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5151 के उत्तर के भाग (ग) से (घ) में उल्लिखित अनुबंध।

टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश 2015 के प्रासंगिक खंडों के तहत पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के परिणाम दर्शाने वाला विवरण (दिनांक 31.12.2024 तक)

राज्य का नाम	वर्ष	निरीक्षणों की संख्या	डाले गए छापों की संख्या	गिरफ्तार/अभियोजित दोषी व्यक्तियों की संख्या	निलंबित/रद्द/कारण बताओ नोटिस जारी/एफआईआर दर्ज की गई एफपीएस अनुज्ञप्तियों की संख्या
पश्चिम बंगाल	2015	7680	52	*	462
	2016	19619	233	*	41
	2017	36146	655	17	1841
	2018	43127	2057	19	2829
	2019	35378	581	15	2648
	2020	42840	222	57	3263
	2021	28994	156	42	4810
	2022-23	29995	98	59	3507
	2023	18422	2393	42	806
कुल		**262201**	**6447**	**251**	**20207**

*राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

*****